राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 728 / 2014 / जयपुर.

मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड,
डी–236 व 237, प्रथम तल, एस.डी.सी. मोनार्क बिल्डिंग,
आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 16 / 01 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 54 / अ.प्रा. ।।/सीएसटी / जयपुर / 2013–14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 11.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि केन्द्रीय अधिनियम, 1956 के तहत पारित आदेश दिनांक 11.03.2013 में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं होने से अन्तर कर एवं ब्याज आरोपित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने हेतु अपील की गई थी, जिस पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 28.03.2014 तक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का समय दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रकरण में विवाद मात्र घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय को बढ़ाने से संबंधित रहा है। हमारे समक्ष सुनवाई के दौरान विद्वान अभिभाषक ने दिनांक 29.06.2017 को राज्य सरकार की अधिसूचना F12(79) FD/TAX/2014-Pt-III-36 पेश कर अनुरोध किया कि उक्त अधिसूचना के जरिये वैट नियम 21 में संशोधन कर दिनांक 30.06.2017 तक

लगातार......2

निष्पादित कर निर्धारण आदेशों के घोषणा पत्र दिनांक 31.03.2018 तक स्वीकार करने का प्रावधान कर दिया है एवं नियम 21 के प्रावधान को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के कर निर्धारण में भी लागू होने का निर्णय कर बोर्ड के आदेश अपील संख्या 1343 / 2009 / बूंदी निर्णय दिनांक 15.05.2015 में किये हुये है फलतःउक्त संशोधित नियम एवं कर बोर्ड के निर्णय के आलोक में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि संशोधित नियम 21 अनुसार समस्त घोषणा पत्र दिनांक 31.03.2018 तक स्वीकार कर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य